भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 334

1 दिसम्बर, 2015 को उत्तरार्थ

विषय: कीटनाशकों का दुरूपयोग

334. श्रीमती ज्योति धुर्वे :

श्री दुष्यंत चौटाला:

श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

श्री देवजी एम. पटेल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कीटनाशकों के दुरूपयोग का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में उपयोग किए जा रहे 25 प्रतिशत कीटनाशक नकली हैं जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, मृदा की उर्वरता कम हो रही है और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या पर नियंत्रण के लिए तथा विनिर्माण करने वाली कम्पनियों/ संबंधित वितरण एजेंसियों को दंडित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है:

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कानून अधिनियमित करने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है: और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को गुणवत्ता कीटनाशक प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)</u>**

**(क)**: केन्द्र सरकार केन्द्रीय स्कीम "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" (एमपीआरएनएल) के तहत विभिन्न कृषि जिंसों इत्यादि में कीटनाशक अवशेषों के स्तरों को मानीटर करती है । 2014-15 की एमपीआरएनएल की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि विभिन्न

जिंसों के नमूनों की कुल संख्या के 2.6 प्रतिशत में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम अवशेष सीमाओं से ऊपर कीटनाशक अवशेष शामिल पाये गये ।

**(ख)एवं (ग):** केन्द्र और राज्य सरकारों ने घटिया कीटनाशकों के प्रयोग की जॉच के लिए कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत क्रमश: 168 और 11645 कृमिनाशी निरीक्षकों की संख्या अधिसूचित की है । 2014-15 में कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा कुल 51167 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण हेतु एकत्रित किया गया था । यह पाया गया कि 1260 कीटनाशक नमूने अर्थात कुल 2.46 प्रतिशत घटिया पाये गये और परिणामस्वरूप 296 मामलों में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

**(घ):** कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2008 संसद में इस दृष्टि से लंबित है कि कृमिनाशी अधिनियम 1968 के एवज में लाया जाये । विधेयक में घटिया कीटनाशकों के आयात, निर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए और अधिक कड़ा दंड प्रस्तावित किया गया है । इसके अलावा विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव करता है ।

**(ड़):** कीटनाशकों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने क्रमश: 168 और 11645 कृमिनाशी निरीक्षक अधिसूचित किये हैं जिससे कि विनिर्माण , भंडारण और विक्रय केन्द्रों इत्यादि तथा कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कार्यान्वित किये जा सकें । केन्द्र सरकार ने एक केन्द्रीय कृमिनाशी प्रयोगशाला और दो क्षेत्रिय कीटनाशी जॉच प्रयोगशालाएं चण्डीगढ एवं कानपुर में स्थापित की हैं । केन्द्र सरकार ने अभी तक 68 राज्य कीटनाशी जॉच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों की भी सहायता की है। कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में सक्षम न्यायलयों में कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

******